झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

[illegible]पारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

Scanned by CamScanner

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –**

(i) यह अधिनियम "झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहलायेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की अध्याय–17 की धारा–152 की उपधारा–(6) में संशोधन –**

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–152 की उपधारा–(6) को निम्न प्रकार संशोधित करते हुए, प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(6) होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ, फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप से संगणित की जायेगी :–

(i) वैयक्तिक आवासीय सम्पत्ति– सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत,

(ii) वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति– सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत,

(iii) वैयक्तिक आवासीय [illegible] /अपार्टमेन्ट– सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत,

(iv) वैयक्तिक गैर [illegible] अपार्टमेन्ट– सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

Scanned by CamScanner

को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 28 जुलाई, 2016 को सभा द्वारा
आ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करती हूँ।

राज्यपाल
झारखण्ड, राँची

Scanned by CamScanner